न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —51 / 2016 अपील (RCMS/2016/00086)
पंजीयन दिनांक —13.06.2016
निर्णय दिनांक —22.01.2019

1. श्री उदयलाल पिता श्री भूरा जी सुथार, निवासी सेलागुडा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती टमुबाई पुत्री श्री भूरा जी सुथार, निवासी सेलागुडा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द।

—अपीलान्टस्

बनाम

1. श्रीमती रूकमणी बाई पुत्री श्री भूरा जी सुथार, निवासी सेलागुडा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती लक्ष्मी बाई पुत्री श्री भूरा जी सुथार, निवासी सेलागुडा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द।
3. तहसीलदार, आमेट जिला राजसमन्द।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील अपीलान्ट
2.श्री अजय सिंह हाडा — वकील रेस्पोडेंट—1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द, प्रकरण संख्या 05 / 2016 दिनांक 15.03.2016

निर्णय

दिनांक 22.01.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द, प्रकरण संख्या 05 / 2016 दिनांक 15.03.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है किकस्बा आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द में खाता संख्या 92 आराजी नम्बर 978 से 987, 988 मी., 990, 5858/990 कुल किता 13 कुल रकबा 3.1799 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमियां सम्वत् 2033 में खाता संख्या 726 होकर श्री भूरा पिता पेमा के खाते दर्ज थी। श्री भूरा जी के एक पुत्र श्री उदयलाल एवं तीन पुत्रियां श्रीमती रूकमणी बाई, टमूबाई व लक्ष्मीबाई हैं। श्री भूरा के स्वर्गवास उपरान्त तहसीलदार, आमेट द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 21.12.1978 को श्री भूरा के पुत्र श्री उदयलाल के नाम स्वीकृत किया गया। तहसीलदार, आमेट द्वारा श्री भूरा के वारिसान की जांच न कर केवल श्री उदयलाल के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने से क्षुब्ध होकर रेस्पोडेंट संख्या–1 श्रीमती रूकमणी बाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय जिला, राजसमन्द द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.03.2016 से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार आमेट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 21.12.1978 को निरस्त किया तथा तहसीलदार, आमेट को निर्देशित किया कि वादग्रस्त भूमि में मृतक स्व. श्री भूरा जी सुथार की पुत्रियों का भी नाम भी श्री उदयलाल के साथ अंकित किया जावें।

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 15.01.2019 को सुनी गई। दीगर रेस्पोडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि सम्वत् 2033 में भूराजी के खाते दर्ज थी। भूराजी के स्वर्गवास हो जाने से नामान्तरकरण संख्या 46 खोला गया। कथित जायदाद मौरूसी थी तथा भूरा जी व उदयलाल इसके कोपार्सनर थे तथा श्री भूरा के स्वर्गवास होने पर उक्त जमीन के कोपार्सनर अकेला उदयलाल रह गया था। भूराजी का स्वर्गवास सन् 2005 के पूर्व हुआ था, इस कारण लड़कियों का कोई हक अधिकार नहीं लगता था क्योकि वे इसके कोपार्सनर नहीं थे। लड़कियों को 2005 में कोपार्सनर बनाया गया था, इस कारण लड़कियों को कोई हक अधिकार नहीं लगता था तथा लड़कियां वारिस नहीं होने से उदयलाल के नाम सही नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था। कथित नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा जलसेआम में स्वीकृत किया गया था। यह नामान्तरकरण ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्ण

जांच उपरान्त नियमानुसार खोला गया। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील करीब 38 वर्षों बाद पेश की गई फिर भी जिला कलक्टर को ऐसी अपील सुनने का अधिकार नहीं होते हुए भी रेस्पोडेंट संख्या–1 की अपील स्वीकार कथित नामान्तरकरण को निरस्त किया जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय में मोजूदा अपीलान्ट्स की ओर से बताये गये केसलॉ का हवाला अपने फैसलें में दिये बिना ही अपील को मयाद अन्दर मानी जाने का आदेश दिया जो बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। कथित अपील मयाद के बिन्दु पर निरस्त की जानी चाहिए थी। कथित जमीन पर कब्जा अपीलान्ट का ही था। रेस्पोडेंट का कथित जमीन पर एक भी दिन कब्जा नहीं रहा, न ही उसने कभी काश्त ही की है, तथा वह हमेशा ससुराल रहती है तथा ऐसे मामलें में मयाद कण्डोन नहीं की जा सकती है। कथित जायदाद मौरूसी चली आ रही है तथा भूराजी के स्वर्गवास के बाद कथित जायदाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–6 के अनुसार उदयलाल का 1/2 हिस्सा, होकर बकाया 1/2 हिस्सें के कौन–कौन हकदार होगें यह म्यूटेशन की कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता है। दावें से ही तय किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीधे ही रेस्पोडेंट के नाम म्यूटेशन करने का आदेश दिया गया वह बिल्कुल गलत होकर बिना अधिकार के है।

अन्त में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.03.2016 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने बाबत अनुरोध किया एवं निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किया है–RRT 2013(2) P. 887, RRD 1995 P 64, AIR 2011 SC 1237, 2010(2) CT P. 462, RRT 2007 (8) P. 939.

रेस्पोडेंट संख्या–1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि श्री भूरा जी के एक पुत्र श्री उदयलाल एवं तीन पुत्रियां श्रीमती रूकमणी बाई, टमूबाई व लक्ष्मीबाई हैं। श्री भूरा के स्वर्गवास उपरान्त तहसीलदार, आमेट द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 21.12.1978 को श्री भूरा के पुत्र श्री उदयलाल के नाम स्वीकृत किया गया। नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा कोई जांच नहीं की गई, न ही उत्तराधिकार के संबंध में शपथ पत्र लिया गया, न ही उत्तराधिकार का सजरा प्राप्त किया गया, केवल मात्र अकेले श्री उदयलाल के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जो निरस्त योग्य था। यदि जांच की होती तो वारिसान का पता चल जाता। कानूनन विरासत के नामान्तरकरण में मृतक के सभी वारिसान के नाम बाद जांच नामान्तरकरण को स्वीकृत किया जाना चाहिए। उक्त नामान्तरकरण की अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी, उक्त नामान्तरकरण की कोई सूचना रेस्पोडेंट–1 को नहीं मिली, बिना सुने व बिना सुचना दिये जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, वह शुरू से ही शुन्य है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या–1 को उक्त नामान्तरकरण की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जानकारी होनेा संभव नहीं थी, और जानकारी होते ही नकल निकलवाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। मयाद के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की विवेचना करते हुए अपील अन्दर मयाद मानी हो पूर्णतया विधि सम्मत है। उपरोक्त तथ्यों पर पूर्ण विवेचना करते हुए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द ने विवादित नामान्तरकरण को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि में उदयलाल के साथ श्री भूरा की पुत्रियों का नाम भी अंकन किये जाने का निर्णय पारित किया जो पूर्णतया विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि श्री भूरा जी के एक पुत्र श्री उदयलाल एवं तीन पुत्रियां श्रीमती रूकमणी बाई, टमूबाई व लक्ष्मीबाई हैं। श्री भूरा के स्वर्गवास उपरान्त तहसीलदार, आमेट द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 21.12. 1978 को सिर्फ श्री भूरा के पुत्र श्री उदयलाल के नाम स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा कोई जांच नहीं की गई, न ही उत्तराधिकार के संबंध में शपथ पत्र लिया गया, न ही विधिक वारिसान की जांच की गई, केवल मात्र अकेले श्री उदयलाल के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया। नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व सभी विधिक वारिसान को सुनवाई का व अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द समक्ष श्रीमती रूकमणी द्वारा कथन किया गया कि नैसगिक न्याय के सिद्वान्त के प्रतिकुल पारित आदेश को अपास्त करने में परिसीमाकाल बाधित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों पर पूर्ण विचार कर श्रीमती रूकमणी बाई द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर मयाद शुमार कर निर्णय दिनांक 15.03.2016 से स्वीकार किया एवं तहसीलदार आमेट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 21.12.1978 को निरस्त कर तहसीलदार, आमेट को निर्देशित किया कि वादग्रस्त भूमि में मृतक स्व. श्री भूरा जी सुथार की पुत्रियों का भी नाम भी श्री उदयलाल के साथ अंकित किया जावें।

उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा प्रकरण में तथ्यों की पूर्ण विवेचना, विधिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत

निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द का निर्णय दिनांक 15.03.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official